न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023 / 54 दायरा दिनांक : 28.03.2023

उनवान

घनश्याम आत्मज प्रभूलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

.... अपीलांट

बनाम

1– हरसाई पुत्र श्री राजमल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

2– बबलू पुत्र श्री राजमल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

3– रामपति बाई पत्नी श्री राजमल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

4– हेमलता पुत्री श्री राजमल पत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

5– उर्मिला पुत्री श्री अभिराज पत्नी श्री गुलाब चन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

6– ओम प्रकाश पुत्र श्री भीमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

7– कमलेश बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी रामनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम बलदेवपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

8– गोपीचन्द आत्मज श्री हीरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

9– दुलीचन्द आत्मज श्री लटूरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

10– नरोत्तम आत्मज श्री हीरालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

11– प्रेमबाई पत्नी लटूरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

12– फूला पुत्री श्री तेजा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सुभाषपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

13– बद्रीलाल आत्मज श्री कान्हा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

14– बरजी पुत्री तेजा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, हाल सुभाषपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

15– बाबूलाल आत्मज हीरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

16– भूरालाल आत्मज हीरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

17– मांगीबाई पुत्री श्री लटूरलाल पत्नी श्री घनश्याम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कोटडी तुलसां, तहसील बारां, जिला बारां

18– मोहित पुत्र श्री प्रशान्त, जाति मीणा, निवासी ग्राम उदपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

19– राजन्ती बाई पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री मुकुट बिहारी, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, हाल निवासी रामबिलास, तहसील किशनगंज, जिला बारां

20– राधेश्याम पुत्र श्री भीमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

21– रामकुंवार पुत्र श्री हीरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

22– रामप्रसादी बाई पत्नी श्री भीमराज, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

23– रोशनबाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री हरनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, हाल निवासी रामविलास, तहसील किशनगंज, जिला बारां

24– सुरेन्द्र पुत्र श्री लटूरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, हाल निवासी सुभाषपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

25– हरिराम पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्याखेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां पिनकोड नं. 325218

26– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 व शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 09.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 46/2022 निर्णय दिनांक 31.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188, 91 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात वर्तमान खाता संख्या 100 पुराना 88 की खसरा नं. 147 रकबा 0.81 हेक्टर, खसरा नं. 148 रकबा 0.81 हेक्टर, खसरा नं. 149 रकबा 0.76 हेक्टर, खसरा नं. 152 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नं. 153 रकबा 1.21 हेक्टर, खसरा नं. 155 रकबा 1.01 हेक्टर, खसरा नं. 156 रकबा 3.30 हेक्टर, ख. नं. 157 रकबा 0.55 हेक्टर, ख. नं. 160 रकबा 0.42 हेक्टर, ख. नं. 161 रकबा 0.42 हेक्टर, ख. नं. 260 रकबा 0.19 हेक्टर, ख. नं. 261 रकबा 0.65 हेक्टर, ख. नं. 262 रकबा 0.21 हेक्टर, ख. नं. 263 रकबा 0.13 हेक्टर, ख. नं. 264 रकबा 0.50 हेक्टर, ख. नं. 39 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं. 40

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 0.95 हेक्टर, खसरा नं. 41 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नं. 42 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं. 43 रकबा 0.19 हेक्टर कुल 20 किता कुल रकबा 13.74 हेक्टर वाके माल ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां में स्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 22 के नाम राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 7/576 है तथा इसी प्रकार आराजीयात वर्तमान खाता सं. 49 पुराना 77 में वर्णित खसरा नं. 253 रकबा 3.09 हेक्टर, खसरा नं. 254 रकबा 0.45 हेक्टर, कुल 2 किता कुल रकबा 3.54 हेक्टर वाके माल ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां में स्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/216 है तथा इसी प्रकार आराजीयात वर्तमान खाता सं. 88 पुराना 76 में वर्णित खसरा नं. 123 रकबा 3.48 हेक्टर वाके माल ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां में स्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/144 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2022 से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि हुक्म जेर अपील कानून, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी अपीलांट एवं दीगर प्रतिवादीगण को आगामी आदेश तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है कि वे ग्राम व माल बलदेवपुरा की विवादित आराजी खाता सं. 49 कुल 2 किता की 3.54 हेक्टर में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/54, अप्रार्थी नं. 20 का 1/54 हिस्सा, खाता सं. 88 कुल 1 किता रकबा 3.48 हेक्टर में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/36, अप्रार्थी नं. 20 का हिस्सा 1/36 एवं खाता सं. 100 कुल 20 किता की 13.74 हेक्टर में प्रार्थीगण का हिस्सा 7/144 एवं अप्रार्थी नं. 20 का हिस्सा 7/144 पर तथाकथित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं. 20 के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं देवे, प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 20 के हिस्से के रिकार्ड में फेरबदल नहीं करें, इस आशय की आगामी आदेश तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट के राजस्व अभिलेख में दर्ज उसके हिस्से व कब्जे की भूमि के संबंध में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 के पक्ष में एवं प्रतिवादी नं. 20 के पक्ष में प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध आगामी आदेश तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि समस्त प्रतिवादीगण को इत्तला हुए बिना कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की सुनवायी नहीं की जा सकती है। कोई विशेष परिस्थितियां भी मौजूद नहीं थी। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अस्थायी निषेधाज्ञा ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

प्रतिवादी अपीलांट वाद विषयक अपील विषयक आराजियात का सहकृषक एवं काबिज है। कानूनन सहकृषक व काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की जा सकती है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित हुक्म जेर अपील सर्वथा, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 20 रोशनबाई का उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। वह प्रकरण में प्रतिवादी नं. 20 है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 20 की प्रार्थना के बिना ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी नं. 20 रोशनबाई ने उसके हक व हिस्से की भूमि का प्रतिवादी अपीलांट घनश्याम के पक्ष में दिनांक 10.08.2009 को हक त्याग कर पंजीकृत रिलीज डीड उसके पक्ष में निष्पादित कर दी थी। इस कारण प्रतिवादीनं. 20 रोशन बाई का उपरोक्त भूमि में कोई हक एवं हित विद्यमान नहीं था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है।

प्रतिवादी नं. 20 रोशनबाई द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के पक्ष में की गई पंजीकृत रिलीड डीड दिनांक 11.08.2009 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अटरू के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, उक्त वाद दिनांक 26.03. 2016 को खारिज फरमाया गया था। प्रतिवादी नं. 20 रोशनबाई द्वारा प्रस्तुत अपील भी खारिज फरमायी जा चुकी है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना मान कर सुविधा का संतुलन एवं अपूरर्णीयक्षति का बिन्दु वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 के पक्ष में होना मानकर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेर अपील निरस्त फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.03.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। जो राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को निर्णय किया गया। उक्त निर्णय के समय अप्रार्थी कम 1 से 23 की तलबी शेष थी। पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत प्रकट होता है। चूंकि पक्षकारान की प्रस्तुत प्रकरण में तामील नहीं हुई। अतः अपीलांट अप्रार्थी द्वारा अपना पक्ष भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्ष के तथ्यों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधि विरूद्ध है।

अपीलांट द्वारा अपील के समय दस्तावेज पेश किये गये। दिनांक 11.08.2009 का अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग प्रस्तुत किया। उक्त हक त्याग पत्र निरस्त कराने का दावा सिविल न्यायालय द्वारा खारिज करने का निर्णय भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटेरीशुदा हक त्याग के आधार पर अप्रार्थीगण को बिना सुनवायी किये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा